

uplicate Copy  
13-Nov-2022

## आदेश

तिथि  
Nov 28 2022

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदानुसार आवेदित जमीन मौजा चकश्रीमिसरवांध थाना मोहनपुर

| खाता | प्लॉट | रकबा                          |
|------|-------|-------------------------------|
| 7/3  | 65    | 0 एकड़, 2.22 डिसमील, 0 हेक्टर |

का बिक्रेता

| विक्रेता का नाम          | रिश्ता | अभिभावक का नाम          |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| श्री दुर्लभ चन्द्र ठाकुर | पिता   | स्व अविनाश चन्द्र ठाकुर |

हैं जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 121 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

| रैयत का नाम         | रिश्ता | अभिभावक का नाम |
|---------------------|--------|----------------|
| अविनाश चन्द्र ठाकुर | -      |                |

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं.नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की आवेदिका पंजी ii रैयत के पुत्र से निबंधित दलील द्वारा क्रय कर हाता के रूप में दखलकारीणी है उक्त भूमि कामत सत्व की है जो उपायुक्त देवघर का ज्ञापांक- 1210/विधि दिनांक-11/12/2021 से हस्तानांतरण सत्यापित है दखल दलील एवं सत्यापन के आधार पर नामान्तरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है अतः प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **10 रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
VAIBHAV KUMAR SINGH

अंचलाधिकारी मोहनपुर

ATTESTED  
11/11/22  
NOTARY PUBLIC  
GOVT OF JHARKHAND  
INDIA